न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : सुशिल कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 167 / 2025 दायर दिनांक 17.07.2025

गिरधारीलाल बनाम मंदिर श्री रघुनाथजी आदि

प्रार्थना पत्र – अं.आदेश 9 नियम 13
सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.

ऐडवोकेट प्रार्थी –श्री राकेश कुमार सारस्वत
ऐडवोकेट अप्रार्थी –एकपक्षीय

आदेश

दिनांक–26.09.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अं. आदेश 9 नियम 13 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– उनवानी दावा में प्रार्थी को प्रतिवादी सं0 2 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया था जिसके विरूद्व दिनांक 28.07.2023 को एक पक्षीय कार्यवाही कर दी जिसमें प्रार्थी के वकील श्री किशोर कुमार जांगिड़ थे जिनके द्वारा प्रार्थी से कोई संपर्क नही होने से दिनांक 13.05.2022 को नो इंस्ट्रक्शन नोट के आधार पर प्रार्थी के लिए हिदायतन पैरवी का नोटिस जारी करने का आदेश श्रीमान न्यायालय के द्वारा किया गया इसके पश्चात दिनांक 10.10.2022 को प्रार्थी को जारी हिदायत पैरवी की नोटिस तामिल को पर्याप्त मानकर श्री विप्लव पंडित वकील ने प्रार्थी की ओर से अण्डरटेकिंग वकालतनामा पेश करने की दे दी जबकि प्रार्थी या उसके परिवार को हिदायतन पैरवी के नोटिस किसी तरह कोई सूचना नही मिली तो प्रार्थी द्वारा श्री विप्लव पंडित वकील को अपनी ओर से अण्डर टेंकिग पेश करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है।

प्रार्थी को हिदायतन पैरवी का नोटिस की सूचना नही मिली ना ही प्रार्थी ने वकील श्री विप्लव पंडित को किसी प्रकार से अण्डरटेकिंग देने के लिए मौखिक या लिखित रूप से अधिकृत किया गया है प्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय डिक्री जारी होने से प्रार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर नही मिला जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत के पूर्णतया विरूद्व है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त जमीन पर बने आवासीय मकान में करीबन पिछले 20 वर्षो से लगातार अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है इसलिए प्रार्थी के विरूद्व उक्त उनवानी दावे की एकपक्षीय डिक्री को अपास्त कर प्रार्थी को समुचित सुनवाइ व प्रतिरक्षा का अवसर दिया जाना पूर्णतया न्यायोचित एवं न्याय संगत है इसलिए प्रार्थी के लिए यह प्रार्थना पत्र बाबत अपास्त करने एकपक्षीय डिक्री पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा उनवानी दावा मंदिर श्री रघुनाथजी आदि बनाम रामनिवास आदि वाद संख्या 85 / 2019 में पारित निर्णय दिनांक 16.05.2024 की एकपक्षीय डिक्री को अपास्त फरमाया जाकर प्रार्थी को समुचित सुनवाई व प्रतिरक्षा पेश किये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रा0 पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अनावेदकगण बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी / प्रतिवादी 02 ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वाद मंदिर श्री रघुनाथजी आदि बनाम रामनिवास आदि वाद संख्या 85 / 2019 में प्रार्थी प्रतिवादी नं0 2 के वकील की [illegible] को सुचना दिये बगैर नो इंस्ट्रक्शन किया गया तथा इसके बारे में प्रार्थी / प्रतिवादी नं0 [illegible] अधि[illegible]ा की ओर से सुचित किया गया तथा इसके उपरांत प्रार्थी को न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का [illegible]तन पैरवी का नोटिस जारी किये बगैर उक्त वाद में एकपक्षीय निर्णय पा[illegible] [illegible] उक्त वाद में समु[illegible]ाई का अवसर प्रदान करें तथा उक्त [illegible].2024 की एकपक्षीय डि[illegible] अपास्त फरमाया जाकर प्रार्थी को समुचित सुनवाई व प्रतिरक्षा पेश किये जाने का आदेश फरमाया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:28:14 IST
Reason: SelfAttested

बहस का मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी का हिदायतन पैरवी नोटिस तामिल प्रोपर रूप से नही करवायी गई जिससे प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर नही मिल सका जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत के विरूद्व है। इस प्रकार प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

प्रार्थना पत्र मे उठाई गई आपति उचित प्रतीत होती है। प्रार्थीगण को भी प्रकरण में समुचित सुनवाई का अवसर नही मिलने से इसके वैध अधिकारो पर कुठाराधात है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को प्रत्येक पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 व सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 व सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा उनवानी वाद मंदिर श्री रघुनाथजी आदि बनाम रामनिवास आदि वाद संख्या 85/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2024 को अपास्त फरमाया जाकर प्रार्थी को समुचित सुनवाई व प्रतिरक्षा पेश किये जाने का आदेश किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:28:14 IST
Reason: SelfAttested